आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :हसनगंज तहसील
वाद सख्या :-4264/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202210690404264
अमरनाथ महाविद्यालय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं0

अर्न्तगत धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
ग्राम–सीहमऊ परगना औरास
तहसील–हसनगंज जिला–उन्नाव

अमरनाथ महाविद्यालय —बनाम— सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना–पत्र अमरनाथ महाविद्यालय सीहमऊ औरास उन्नाव द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के द्वारा दिनॉक 06.04.2022 को इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 04 की गाटा संख्या 1363/2.0840हे0 में से 1.0120हे0 जो कि आवेदक अमरनाथ महाविद्यालय सीहमऊ औरास उन्नाव द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक नहीं है एवं आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार हसनगंज से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार हसनगंज ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक 28.06.2022 द्वारा उल्लिखित किया जो बिन्दुवार निम्नवत है:–

1. ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 04 की गाटा संख्या 1363/2.0840हे0 में से 1.0120हे0 जो कि आवेदक अमरनाथ महाविद्यालय सीहमऊ औरास उन्नाव द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।
2. आवेदक की उक्त भूमि के आवेदित रकबे पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, पशुपालन तथा कृषि कार्य नही किया जा रहा है।
3. आवेदक की भूमि सीलिंग, भूदान या आवंटन से प्राप्त नही है। बल्कि पंजीकृत विक्रय पत्र से प्राप्त है।
4. भूमि संलग्न खतौनी के अनुसार जी0एस0लैण्ड, गर्वनमेन्ट लैण्ड व लोकल बाडीज लैण्ड नही है।
5. आवेदित भूमि पर आवेदक का कब्जा व दखल है भूमि के सम्बन्ध मे स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है।
6. उक्त भूमि खतौनी के अनुसार गॉवसभा व राज्य सरकार या स्थानीय अधिकार की भूमि नही है।
7. ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव लीडा (लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत घोषित नही है।
8. प्रस्तावित भूमि संलग्न खतौनी अनुसार किसी संस्था या बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज अभिलेख नही है।
9. आवेदित भूमि के आवेदित गाटे पर निर्माण कार्य जारी है।
10. प्रस्तावित भूमि प्रयोजन से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना नही है व सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नही है।
11. संलग्न खतौनी के खाता संख्या 04 की गाटा संख्या 1363/2.0840हे0 में से 1.0120हे0 आवेदक के नाम दर्ज कागजात है तथा अपने रकबे पर काबिज है तथा विद्यालय संचालित है।

Scanned by TapScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :उन्नाव,तहसील :हसनगंज तहसील
वाद सख्या :-4264/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202210690404264
अमरनाथ महाविद्यालय बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

12. प्रस्तावित भूमि की उद्वरण खतौनी, आकार पत्र 41 व 45 की प्रमाणित प्रति तथा भूमि की फोटोग्राफ व नजरी नक्शा साथ में संलग्न है।
13. आवेदित भूमि जिलाधिकारी महोदय उन्नाव द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये निर्धारित सर्किल रेट मु0–27 लाख/रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से उक्त प्रस्तावित रकबे की कुल मालियत 27,00,000X1.0120हे0=27,32,400/रू0 व एक तरफ चकमार्ग होने के कारण 15 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन मु0–4,09,860/रू0 जोडने पर कुल मालियत मु0–31,42,260/रू0 होती है। जिसका 1 प्रतिशत मु0–31,422/रू0 होती है। जो जरिए ट्रेजरी चालान जमा किया गया है। जिस पर 1 प्रतिशत न्याय शुल्क मु0–31,422/ रू0 भी अदा किया गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसीलदार हसनगंज की आख्या दिनांक 28.06.2022 का विधिवत अवलोकन किया गया। आवेदित भूमि आवेदक के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। अतएव तहसीलदार हसनगंज की आख्यानुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अपेक्षित विधिक शर्तें पूर्ण हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की वर्तमान खतौनी सन् 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 04 की गाटा संख्या 1363/2.0840हे0 में से 1.0120हे0 जो कि आवेदक अमरनाथ महाविद्यालय सीहमऊ औरास उन्नाव द्वारा प्रबन्धक नरेन्द्र कुमार पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सीहमऊ परगना औरास तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के नाम दर्ज भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत 1.0120हे0 क्षेत्रफल को (अकृषिक) घोषित किया जाता है। जॉच अधिकारी, तहसीलदार हसनगंज की जॉच आख्या दिनॉक 28.06.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग होगा। यह घोषणा केवल भू0राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमो एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 82 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। यह आदेश उ0प्र0 असाधारण गजट 10 मार्च 2019 {राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2019)} के संशोधित धारा 80 के व शासनादेश संख्या–4/2021/221/एफ–1–2021–20(5)/2016 दिनॉक 06.04.2021 के प्राविधानो के अधीन होगा। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक हसनगंज को भेजी जाय। तदनुसार राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक–

28/6/22

(रामदत्त राम)
उपजिलाधिकारी हसनगंज,
उन्नाव।

Scanned by TapScanner